

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) प्रावधान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं की प्रार्थना पर इनके नाम के रामने कॉलम संख्या 6 में अकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है:-

क्र0 सं0	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थगन	पद	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1.	श्रीमती उमा चण्डक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गढ़वा खुर्द भीलवाड़ा	प्रधानाचार्य	10.01.61	23.12.83	31.08.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नायित शिक्षा सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई च्यापिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(निश्मल डिल्लौ)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-२-७/स्वैच्छिक सेवा/2017

दिनांक : २५/०८/२०१८

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
6. संबंधित संस्था प्रधान / अधिकारी
7. विजांच / वरिष्ठता अनुभाग
8. प्रमारी बी-१/ा कार्यालय हाऊजा। ०९- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर